

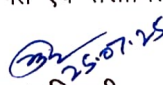
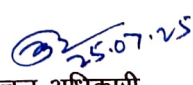
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 35/सन-2025- 26

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.07.2025	<u>:-आदेश:-</u> यह विविध वाद अभिलेख सं०- 35/2025- 26 अधोहस्ताक्षरी को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में स्थानीय जनता से प्राप्त मौखिक शिकायत के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07 ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अंचल- धनवार अन्तर्गत मौजा- उपरैली धनवार, थाना नं०- 213 के खाता सं०- 41, प्लॉट नं०- 362, रकवा- 2.01 एकड़ तथा प्लॉट नं०- 532, रकवा- 1.52 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार केशर हिन्द दर्ज है। हल्का भ्रमण में देखा गया कि उक्त भूमि के अंश भाग पर नरेश पाठक, पिता- बाबुलाल पाठक, साकिन- उपरैली धनवार के द्वारा दिवाल देने का कार्य किया जा रहा है। जो प्रथम दृष्टया केशर हिन्द भूमि पर अतिक्रमण का मामला प्रतीत होता है। ऐसे में उक्त भूमि की जाँच अंचल अमीन से कराते हुए तथा वर्तमान में अतिक्रमणकर्ता को तत्काल रूप से कार्य रोकने हेतु अंचल कार्यालय से नोटिस निर्गत किया जा सकता है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वादी को अविलम्ब निर्माण कार्य रोकते हुए पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित थाना प्रभारी, धनवार को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य रोकने हेतु निदेश दिया गया। सुनवाई के दौरान 21.07.2027 को वादी द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा सरकारी भूमि अर्थात वादगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। वादी का कहना है कि वे अपने पुश्तैनी रैयती भूमि यथा मौजा- उपरैली धनवार, थाना नं०- 213, खाता सं०- 21, प्लॉट नं०- 375 एवं 376 पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वादी को अपने दावे की सत्यता साबित करने हेतु मापी कराने के निमित्त ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। निदेश के आलोक में ऑनलाईन मापी वाद सं०- 68/2025 - 26 के तहत राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07 श्री रामलखन मिस्त्री/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, धनवार को वादगत भूमि का मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निदेश के अनुपालन में राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07 श्री रामलखन मिस्त्री/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, धनवार ने उपरोक्त वादगत भूमि का मापी प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि वादी के द्वारा उनके रैयती भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा वादगत भूमि पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में चूँकि अतिक्रमण संबंधी मामला साबित नहीं हुआ अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	